प्रेस नोट

दिनॉक 11.01.2013 को नौएडा प्राधिकरण की 178वीं बैठक हुई, जिसमें नौएडा के किसानों एवं आम जनता की सुविधा एवं हितों के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किये गये, जिनका विवरण निम्नवत है:-

1 *सन 1976 के बाद के कृ-ि पट्टेदारों को भी मिल सकेगा अब 5 प्रतिशत आबादी भूखण्ड।*

नौएडा में वर्तमान में प्रचलित नीति के अनुसार केवल उन्हीं कृ-ि पट्टेदारों की भूमि अधिग्रहण होने पर 5 प्रतिशत आबादी भूखण्ड मिलता है, जिन्हें कृ-ि पट्टा नौएडा की स्थापना अर्थात 17.04.1976 के पूर्व हुआ हो। नौएडा के किसान बहुत दिनों से यह मांग करते चले आ रहे थे कि उन कृ-ि पट्टेदारों को भी उनकी अधिग्रहीत भूमि के सापेक्ष 5 प्रतिशत आबादी भूखण्ड दिया जाये, जिनको कृ-ि पट्टा व-र् 1976 के बाद किया गया हो। आज की प्राधिकरण बैठक में यह मॉग पूरी करते हुए यह प्रस्ताव पास किया गया है कि उन सभी कृ-ि पट्टेदारों को उनकी अधिग्रहीत भूमि के सापेक्ष 5 प्रतिशत आबादी भूखण्ड दिया जायेगा, जिन्हें कृ-ि पट्टा 1976 के बाद हुआ हो और जो नौएडा के पक्ष में भूमि अधिग्रहण से पूर्व संक्रमणीय भूमिधर हो चुके हों। इस संशोधन से नौएडा प्राधिकरण से बहुत से ऐसे कृ-ि पट्टेदारों को 5 प्रतिशत आबादी भूखण्ड प्राप्त हो सकेगा, जिन्हें कृ-ि पट्टा 1976 के बाद हुआ था और वह उपरोक्त प्रचलित प्राविधान के तहत 5 प्रतिशत आबादी भूखण्ड के लाभ से अब तक वंचित हो रहे थे।

2 *5 प्रतिशत आबादी भूखण्ड योजना के तहत 40 वर्ग मीटर से कम परन्तु 20 वर्ग मीटर या इससे अधिक हेतु पात्र लघु कृ-ाकों को 40 वर्ग मीटर आवासीय भूखण्ड कि सौगात।*

नौएडा की वर्तमान प्रचलित नीति के अनुसार 5 प्रतिशत आबादी भूखण्ड के संबंध यदि किसी काश्तकार को देय आवासीय भूखण्ड का रकबा 40 वर्ग मीटर से कम बैठता था तो ऐसे लघु कृ-ाक को उसकी अधिग्रहीत भूमि के सापेक्ष कोई आवासीय भूखण्ड दिया ही नहीं जाता था, जिससे छोटे एवं गरीब किसानों को काफी क्षति होती थी। इस विसंगति को दूर करते हुए प्राधिकरण बोर्ड ने आज एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें उन छोटे किसानों को भी न्यूनतम 40 वर्ग मीटर तक का आबादी भूखण्ड दिया जायेगा, जिनको नियमानुसार पात्रता के आधार पर 40 वर्ग मीटर से कम परन्तु 20 वर्ग मीटर या उससे अधिक का क्षेत्रफल देय था। इससे

नौएडा के उन छोटे एवं गरीब किसानों को लाभ होगा, जिनकी अधिग्रहीत भूमि का रकबा कम होने के कारण इस लाभ से वंचित होना पड़ता था।

3 5 प्रतिशत आवासीय भूखण्ड लाभ हेतु कट ऑफ डेट में शिथिलता।

वर्तमान में प्रचलित नीति के अनुसार काश्तकारों की अधिग्रहीत भूमि के सापेक्ष केवल उन्हीं किसानों को 5 प्रतिशत आवासीय भूखण्ड के आबंटन का लाभ प्रदान किया जाता है, जो नौएडा की स्थापना तिथि अर्थात 17.04.1976 के पूर्व राजस्व अभिलेखों में पुश्तैनी किसान के रूप में दर्ज थे। यहाँ उल्लेखनीय है कि नौएडा प्राधिकरण में तीन चरणों में ग्राम सम्मिलित किये गये। व-र्ा 1976 में 37 ग्राम, 1989 में 53 ग्राम और 1997 में 20 ग्राम सम्मिलित किये गये। परन्तु 5 प्रतिशत आबादी भूखण्ड हेतु पुश्तैनी किसान के लिए सभी ग्रामों में एक ही कट ऑफ डेट 17.04.1976 मानी जाती है। इस प्राविधान में अब परिवर्तन कर दिया गया है और जो ग्राम जिस तिथि को नौएडा में सम्मिलित होने हेतु अधिसूचित हुआ होगा, उसी दिनॉक को कट ऑफ डेट माना जायेगा। इससे 1989 एवं 1997 में नौएडा में सम्मिलित हुए क्रमशः 53 एवं 20 ग्रामों के उन किसानों को 5 प्रतिशत आबादी भूखण्ड की सुविधा प्रदान की जा सकेगी, जिनकी भूमि नौएडा प्राधिकरण के लिए अधिग्रहीत हुई है। नौएडा के किसानों द्वारा बहुत समय से उपरोक्त आशय की मांग की जाती रही है, जिसे आज की प्राधिकरण बोर्ड बैठक में स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। इस स्वीकृत प्राविधान से नौएडा के किसानों को अत्यधिक राहत एवं लाभ होगा।

4 कृ-ाक श्रेणी आवासीय भूखण्ड योजना 2011 मार्च 2013 तक पूर्ण होगी।

नौएडा प्राधिकरण ने आज की बैठक में काफी लम्बे समय से लंबित चली आ रही कृ-ाक श्रेणी आवासीय भूखण्ड योजना 2011 को मार्च,2013 तक पूर्ण करने का प्रस्ताव पारित किया है।

5 पुरानी ग्रामीण आबादी में विकास कार्यों हेतु भूलेख विभाग की अनापत्ति से छूट।

प्रचलित नीति के अनुसार नौएडा में ग्रामीण आबादी में अभियॉत्रिकी विभाग द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों को करने से पूर्व भूलेख विभाग से इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त की जानी अनिवार्य थी कि जहाँ विकास कार्य प्रस्तावित हैं, वह भूमि नौएडा प्राधिकरण की अर्जित एवं कब्जा प्राप्त भूमि तो नहीं है ? इस अनिवार्य अनापत्ति के प्राविधान से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों में अनावश्यक विलम्ब होता था और बाधा भी उत्पन्न होती थी। नौएडा के ग्रामीण बहुत दिन से यह मांग कर रहे थे

कि पुरानी ग्रामीण आबादी में विकास कार्य कराने से पूर्व भूलेख विभाग की अनापत्ति प्राप्त न की जाये। आज की बैठक में नौएडा के ग्रामवासियों की बहुत पुरानी मांग मान ली गयी है।

6 5 प्रतिशत आबादी भूखण्ड के पात्रों को अभियान चलाकर अगले पॉच में दिया जायेगा लाभ।

प्राधिकरण बोर्ड ने इस आशय का प्रस्ताव पास किया है कि नौएडा में 5 प्रतिशत आबादी भूखण्ड आबंटन के सभी पात्र काश्तकारों की पत्रावलियों को एक अभियान चलाकर अगले पॉच माह में निस्तारित किया जाय।

7 64.7 प्रतिशत बढ़े हुए मुवाअजे के तहत रूपया 450.62 करोड़ का वितरण किसानों को अगले एक माह में ग्रामों में ही शिविर लगा कर किया जायेगा।

रिट याचिका सं0 37443/11 गजराज व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के मामले में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनॉक 21.10.2011 के तहत प्राधिकरण को 64.7 प्रतिशत बढ़े हुए मुवाअजे के तहत कुल लगभग रू0 1100.00 करोड़ का वितरण करना था, जिसमें से प्राधिकरण किसानों को दो किश्तों में कुल रू0 650.00 करोड़ पूर्व में ही बांट चुका है। आज की बोड बैठक में शे-ा 450.00 करोड़ रूपये की किश्त भी किसानों को वितरण करने हेतु अवमुक्त करते हुए जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को इस आशय के निर्देश दिये गये कि वे अपर जिलाधिकारी, भू अध्याप्ति, गौतमबुद्धनगर को संबंधित ग्रामों में भेजकर शिविर लगवाकर उपरोक्त धनराशि पात्र किसानों में वितरित करायें। इससे किसानों को उनके घर बैठे बढ़ा हुआ मुवाअजा प्राप्त हो सकेगा और सरकारी कार्यालर्यों में बार-बार उन्हें चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे।

8 नौएडा सैक्टर 30 में सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल को सुपर स्पेशिएलिटी बच्चों के चिकित्सालय एवं शैक्षिणिक संस्थान के रूप में विकसित किए जाने, सैक्टर 39 में नये जिला अस्पताल व सैक्टर 31 में जिला अस्पताल के डाक्टरों व नर्सों के आवास के निर्माण के संबंध में।

नौएडा सैक्टर 30 में सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल को सुपर स्पेशिएलिटी बच्चों के चिकित्सालय एवं शैक्षिणिक संस्थान के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया। सैक्टर–39 में 220 बेड के जिला अस्पताल का निर्माण 14000 वर्ग मीटर क्षेत्र पर किया जायेगा, जिसमें ट्रामा सेन्टर सहित समस्त आधुनिक चिकित्सा सुविधा को प्रदान किया जायेगा। जिला चिकित्सालय हेतु आवासीय परिसर का निर्माण सैक्टर–31 में

किया जायेगा तथा इस परियोजना की कुल लागत प्रारम्भिक अनुमान के अनुसार रू0 424.00 करोड़ आँकी गई है।

9. **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं हेतु सेक्टर–62 में निर्माणाधीन छात्रावास के संबंध में।**

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं हेतु सेक्टर–62 में निर्माणाधीन छात्रावास का षेश निर्माण कार्य पूर्ण कर षीघ्र समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेष को उसके संचालन हेतु हस्तान्तरित किया जायेगा।

10 नौएडा क्षेत्र में जोनल ऑफिस की स्थापना हेतु महायोजना - 2031 में उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

आम जनता, आर0डब्लू0ए0 प्रतिनिधियों, ग्राम वासियों एवं शहर के सम्मानित नागरिकें को विभिन्न प्रकार के कार्य जैसे भूखण्ड का ट्रान्सफर कराने, लीज डीड कराने, कब्जा लेना, 5% आबादी भूखण्डों को नि-तारित करने आदि हेतु नौएडा प्राधिकरण के मुख्य प्रशासनिक कार्यालय, सैक्टर - 6 में आना पडता है । इस प्रकार शहर के विभिन्न क्षेत्रों से सैक्टर 6 पहुंचने हेतु 5 से 15 कि0मी0 की दूरी तय करनी होती है । मुख्य प्रशासनिक कार्यालय, सैक्टर 6 में पर्याप्त पार्किंग सुविधा उपलब्ध न होने के कारण जाम की स्थिति रहती है । आम जनता की उपरोक्त कठिनाईयों को देखते हुए प्राधिकरण बोर्ड ने एक जोनल ऑफिस सैक्टर 67 में तथा दूसरा सैक्टर 135 में बनाने का निर्णय लिया है । इन जोनल ऑफिसेस में मुख्यतः सिविल, इलेक्ट्रीकल, जल विभाग एवं उद्यान विभाग के कार्यालय स्थापित किये जायेगे ।

11 सैक्टर - 44 में प्रस्तावित प्रशासनिक भवन के स्थान को विस्थापित करने के सम्बन्ध में ।

प्राधिकरण का वर्तमान में मुख्य प्रशासनिक कार्यालय, सैक्टर 6 में कार्यशील है । सैक्टर 6 में ऑफिस स्पेस तथा बढतें स्टॉफ को ध्यान में रखते हुए पूर्व में सैक्टर - 44 में प्राधिकरण का मुख्य प्रशासनिक भवन समस्त सुविधाओ के साथ प्रस्तावित किया गया था । प्रस्तावित स्थल न्यायालय में वादग्रस्त होने के कारण आज प्राधिकरण बोर्ड ने पूर्व प्रस्तावित स्थान से 500.0 मी0 दूरी पर एक्सप्रेसवे पर स्थित भूखण्ड सं0 एच-01, सैक्टर 96 में निर्माण करने का निर्णय लिया है । इस नये चयनित स्थल पर आम जनता को एक ही छत के नीचे समस्त सुविधाएँ देने के साथ-साथ आधुनिक सुविधायुक्त रेस्टोरेंट एवं पार्किंग की भी व्यवस्था होगी ।

11 *नौएडा एवं ग्रेटर नौएडा में अग्नि सुरक्षा हेतु हाईड्रोलिक प्लेटफार्म एवं अन्य उपकरण क्रय किये जाने के संबंध में।*

कृपया नौएडा क्षेत्र में निर्मित/निमार्णाधीन बहुमंजिला इमारतों की अगिन सुरक्षा हेतु अग्नि सुरक्षा उपकरण जैसे 1 नग 72 मी0 हाईड्रोलिक प्लेटफार्म, 2 नग एडवांस रैस्क्यू टेण्डर, 2 नग एकोस्टिक लाईफ डिटेक्टर्स थर्मल इमेजिंग कैमरा, 22 नग फोर्सिबल एन्ट्री टूल, 2 नग वाउजर, 2 नग मोटर साईकिल बोर्न वाटर मिस्ट सिस्टम, 15 नग बीदिंग अपरेटस सैट क्षमता एवं 150 नग पर्सनल प्रोटेक्टिव क्लोदिंग जिसकी कुल लागत रु0 18.47 करोड को अग्निषमन विभाग को उपलब्ध कराने हेतु संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया है।

12 *नौएडा में सिटी बस सर्विस का सुदृढ़ीकरण*

वर्तमान में नौएडा एवं ग्रेटर नौएडा क्षेत्र में यू0पी0एस0आर0टी0सी0 द्वारा 241 बसो का संचालन किया जा रहा है।

उक्त वाहनों के डिपोवार संचालन की स्थिति निम्नवत प्रस्तुत है:-

क्र0 सं0	*डिपो का नाम*	*सिटी में संचालित*		*दिल्ली तक संचालित*		*उपनगरीय में संचालित*	
		बसें	*मार्ग*	*बसें*	*मार्ग*	*बसें*	*मार्ग*
1	*नौएडा डिपो*	*62*	*07*	*44*	*09*	*54*	*07*
2	*ग्रेटर नौएडा डिपो*	*26*	*08*	*28*	*08*	*27*	*03*
	योग	*88*	*15*	*72*	*17*	*81*	*10*

नौएडा तथा ग्रेटर नौएडा की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। नोएडा में मैट्रो सेवा प्रारम्भ हो जाने के कारण दिल्ली जाने वाले यात्रियों की संख्या में भी वृद्धि परिलक्षित हुई है। यात्रियों की संख्या में हुई वृद्धि के दृ-टिगत मेट्रो सेवाओं को जनपद के विभिन्न रिहायशी सैक्टरों/गॉवों तक जोडने (ख्रुद्दद्द थ्रथ्ड्ड हदृददड्डहद्दध्द्दद्ध) के लिए बस संचालन में वृद्धि किया जाना आवश्यक है। जिस हेतु निम्नानुसार 170 अतिरिक्त बसों की आवश्यकता होगी।

क्र0 सं0	*बसों का प्रकार*	*बसों की संख्या*	*अनुमानित दर (लाख)*	*अनुमानित व्यय (करोड़ में)*
1	*साधारण बडी बसें*	*100*	*23.00*	*23.00*
2	*मिनी बसें*	*50*	*17.00*	*08.50*
3	*सेमी लो-फ्लोर बसें*	*20*	*45.00*	*09.00*
	कुल योग	*170*		*40.50*

उपरोक्त बसों का संचालन मुख्यतः नौएडा एवं ग्रेटर नौएडा के नगरीय मार्गों तथा मेट्रों की फीडर सेवाओं के रूप में होगा।

प्राधिकरण बोड की 178वीं बैठक दिनांक 11.01.2013 में यू0पी0एस0आर0टी0सी0 द्वारा उक्तानुसार बसों के क्रय हेतु नौएडा प्राधिकरण द्वारा यू0पी0एस0आर0टी0सी0 को धनराशि प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

13 नौएडा- ग्रेटर नौएडा के बीच मैट्रो परियोजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

आज दिनांक 11.01.2013 को आहूत की गयी प्राधिकरण बोर्ड की 178वीं बैठक में नौएडा- ग्रेटर नौएडा के बीच मैट्रो परियोजना के क्रियान्वयन के संबंध में निर्णय लिया गया। उक्त परियोजना के Salient Features *निम्नवत हैः-*

SALIENT FEATURES

1.	Length	:	29.707Km.
2.	Gauge	:	1433 mm.
3.	Stations	:	22 (out this 2 are future station)
4.	Max speed	:	95 Km/hr
5.	Schedule speed	:	35 Km/hr
6.	Total Estimated Cost without Taxes (At June-2009 prices)		
		:	Rs. 2,781 Crores (without land)
		:	Rs.3,017 Crores (with land)
			Rs. 3629.00 crores (completion charge)
7.	Areas covered	:	Sector-32, Via Sector-51, Sector-83, Sector-101, Sector-143, Sector-147, Knowledge Park-II, PariChowk,Alpha, Delta to knowledge-IV

वर्तमान में उक्त परियोजना की लागत लगभग रू0 5500 करोड़ आयेगी।

उल्लेखनीय है कि नौएडा ग्रेटर नौएडा एवं यमुना एस्कप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किये गये क्षेत्र में यातायात की समुचित सुविधा उपलब्ध होने के उपरान्त ही आवंटियों द्वारा निवास किया जा सकेगा। मैट्रो रेल परियोजना से नौएडा के सैक्टर-78, 101, 81, एन.ई.पी.जेड, सैक्टर-83, 85, 137, 142,144, 147, 153, 149 एवं उसके आस-पास के लोग लाभान्वित होंगे। ग्रेटर नौएडा महायोजना-2021 की एन.सी.आर. प्लानिंग बोर्ड द्वारा प्रदान की गयी सशर्त स्वीकृति में उल्लेखित 20 से 25 प्रतिशत अल्प आय वर्ग/दुर्बल आय वर्ग हेतु आवास नियोजित किये जाने की शर्त के क्रम में ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा निकट भवि-य में 10.000 आवास निर्मित किये जाने की योजना प्रस्तावित है। अल्प वर्ग के आवंटियों को

ड्ढढदृद्धड्डड्डथ्ड्ड यातायात की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु मैट्रो रेल की सुविधा उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। एन.सी.आर. प्लानिंग बोर्ड द्वारा स्वीकृति मास्टर प्लान-2021 में स्वीकृत प्रावधानों के अनुसार लगभग 28 लाख की जनसंख्या इस क्षेत्र में व-र्ा 2031 तक निवास करेगी। वर्तमान में ग्रेटर नौएडा शहर की जनसंख्या लगभग 02 लाख है। शहर में यातायात की समुचित व्यवस्था होने के उपरान्त ही व-र्ा 2031 तक 28 लाख की जनसंख्या का लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा।

उपरोक्त के अतिरिक्त नौएडा एवं ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीमान्तर्गत विभिन्न संस्थानों में लगभग 01 लाख शिक्षार्थी अध्यनरत् हैं एवं नौएडा तथा ग्रेटर नौएडा एक्सप्रेस-वे के समीप नौएडा क्षेत्र में आई.टी. सेक्टर के अन्तर्गत संस्थायें क्रियाशील हैं। इस क्ष्थ्दृड्डद्धन्दश्र घ्दृद्रद्वथ्ड्डद्धन्दृद हेतु भी यातायात की समुचित व्यवस्था की जाना अति आवश्यक हैं।

उपर्युकत के परिपेक्ष्य में उक्त बैठक में मैट्रो परियोजना के त्वरित क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिल्ली-नौएडा सिटी सेन्टर मैट्रो परियोजना के सफल क्रियान्वयन के मॉडल (डिपॉजिट वर्क) की भॉति इस नौएडा-ग्रेटर नौएडा मैट्रो परियोजना को भी डी.एम.आर.सी. से डिपॉजिट वर्क मॉडल के अनुसार क्रियान्वयन पर निर्णय लिया गया।

उक्त परियोजना के विस्तारीकरण हेतु नौएडा एवं ग्रेटर प्राधिकरण द्वारा अंशदान अपने-अपने क्षेत्र में पड़ रहे मैट्रो रेल परियोजना की लम्बाई के आधार पर किये जाने का निर्णय लिया गया।

नौएडा-ग्रेटर नौएडा मैट्रो रेल परियोजना से डी.एम.आई.डी.सी. द्वारा विकसित की जा रही दादरी-नौएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा। अतः इस मैट्रो परियोजना हेतु डी.एम.आई.डी.सी. को अंशदान के विकल्प पर भी भवि-य में विचार किये जाने के सम्बन्ध में बैठक में निर्णय लिया गया।

उक्त परियोजना के क्रियान्वयन में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु मैट्रों लाईन के दोनों ओर 1 कि0मी0 की चौड़ाई तक नियोजित, ग्रुपहाउसिंग भूखण्डों पर एफ0ए0आर0 2.75 से बढ़ाकर 3.5 किये जाने का भी निर्णय लिया गया।

14 प्राधिकरण द्वारा सैक्टर 82, नौएडा में ट्टन्द्य ढ्ढद्वद्म ञ्र्ड्ढद्धथ्र्न्दड्डथ्‌ की स्थापना के संबंध में ।

नौएडा महायोजना 2031 के अन्तर्गत ट्टन्द्य ढ्ढद्वद्म ञ्र्ड्ढद्धथ्र्न्दड्डथ्‌ हेतु सैक्टर 82 में 3.9 हेक्टेयर भूमि इंगित की गयी है। प्राधिकरण बोर्ड की 178वीं बैठक दिनांक 11.01.2013 में उक्त स्थल पर निम्नलिखित सुविधाओं युक्त सिटी बस टर्मिनल की स्थापना का निर्ण्य लिया गया ।

- Construction of new Bus terminal
- Provide bus infrastructure facilities such as alighting and boarding bays, platforms etc.:

- Provide the number of alighting and boarding bays so that counter times or runaround time of the buses can be increased catering to next 12-15 years.
- Provide bus bays, which are easily accessible for the passengers and for roll in roll out of buses.
- Improve the bus circulation pattern including the entry and exit points as well as the approach to the bus terminal, thereby reducing passenger and vehicular conflicts.

Providing enhanced passenger amenities:

- Toilets sufficient in numbers and conveniently placed
- Drinking water points
- Cloak rooms and waiting rooms
- Convenient shops for the commuters
- Health centre/first aid centre, emergency facilities

Providing passenger conveniences such as:

- Waiting hall for the passengers with amenties such as Air-conditioning, special vending machines, CCTV, etc. (at a nomional charge)

- An alternative normal waiting lounge for the passengers (without any charge)

- Essential including medical store, telephone booths, internet cafes, bank, ATMs, ticket counters with provision for computerization and networking.

- Information center and tourist help centers

- All commercial facilities including restaurants, shops, general stores, ATMs, Bank Extension Counters etc

Information systems and signage related to the Terminal such as bus arrival and departure boards, important announcement facilities.

- Two wheeler, three wheeler and four wheeler parking

- Office space for ticket booking & administrative facilities etc
- Bus repair/ service centers
- Fuel stations including CNG
- Any other development related to commuters and bus operators as per the applicable development controls

प्राधिकरण बोर्ड द्वारा उक्त परियोजना का क्रियान्वयन प्राधिकरण स्तर से कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

15 नौएडा सिटी सेन्टर, सैक्टर-32 से सैक्टर 62 (एन0एच0-24) तक की मैट्रो परियोजना की डी0पी0आर0 पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

SALIENT FEATURES

Extension of Metro from Noida City Center to Noida Sec-62

1.0	**Route Length**	**:**	**6.675 km.(Fully Elevated)**
2.0	**Number of Stations**	**:**	**6 Nos. (All Elevated)**
3.0	**Track Gauge**	**:**	**Broad Gauge (1676 mm)**

4.0 Traffic Forecast

PARAMETERS	2016	2021	2026	2031	2036	2041
Noida sec-32 to sec-62 (Electonic City) Total Boarding	76768	98390	118566	148366	177228	210967
Average Trip Length (KM)	25.37	25.84	26.09	26.3	26.22	25.93

5.0 System Design

(a) Station Dwell Time	30 seconds
(b) Train Composition	8 cars

(c) Average Speed	32 Kmph
(d) Max. Speed	85 Kmph

6.0 Traction Power Supply

a)	Voltage	25KV
b)	Current Collection	Flexible OHE through pantograph
c)	Power Supply Source	Grid Sub stations of Delhi Transco Limited (DTL)
d)	SCADA System	Provided

7.0 Rolling Stock

a) 3.2 m wide modern rolling stock with stainless steel body.

b)	Axle load	-	17 t
c)	Seating arrangement	-	Longitudinal
d)	Capacity of 6 coach unit	-	1756 passengers
e)	Capacity of 8 coach unit	-	2352 passengers
f)	Class of accommodation	-	one
g)	Rake requirement in 2017	-	40 Nos.

8.0 Depot

Stabling depot with washing facilities has been proposed in the vacant area by the side of NH-24.

9.0 Signalling, Telecommunication & Train Control

a)	Type of Signalling	Continuous Automatic train control with cab signaling and ATO
b)	Telecommunication	Integrated System with Fibre Optic cable, SCADA, Train Radio, PA system etc.

10.0 Fare Collection — Automatic Fare Collection System with combination of contactless Smart Card for multiple journeys and computerized Contactless Smart Token for single Journey.

11.0 Construction Metodology Elevated Viaduct carried over pre-stressed concrete box shaped girder with pile/open foundation and

12.0 Estimated cost (Jan 2012 prices)

Particulars	Estimated Cost (excluding IDC)
Without Any Taxes	Rs 1380 Crores
With Central Taxes	Rs 1558 Crores
With Central & State Taxes	Rs 1631 Crores

13.0 Completion Cost with Central Taxes (by March 2017) : Rs. 1807 Crores

14.0 Financial Indices

a) **FIRR** **2.03%**
b) **EIRR** **16.27%**

अध्यक्ष महोदय द्वारा विशे-ा कार्याधिकारी (एम) को निर्देशित किया गया कि शासन स्तर से इस परियोजना अनुश्रवित करें।

16 उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से कब्जा प्राप्त यमुना तटवर्ती बन्द एवं जनपद गौतमबुद्धनगर के मुख्य नाला की 146.667 एकड़ भूमि (59.388 हेक्टेअर) भूमि पर प्रारम्भ में 1MW क्षमता वाले सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन यंत्र की स्थापना किये जाने के संबंध में प्राधिकरण बोर्ड की 178वीं बैठक् दिनांक 11.01.2013 में निर्णय लिया गया।

उत्तर प्रदेश में सोलर ऊर्जा उत्पादन की वर्तमान स्थिति निम्नवत है:-

- Solar energy projects have been undertaken in 2,000 Ambedkar villages across 46 districts, mainly for street lighting.
- 100 telecom towers in the State are being equipped with solar energy panels

- Aditya solar shops – initiative to make renewable energy devices such as solar lamps easily available to the people and to provide after sales services

On an average 5 acres of land (20,230 SqM) is required for 1MW of solar generation. Irrigation drain *की चौड़ाई को ध्यान में रखते हुये उपरोक्तानुसार लम्बाई चिन्हित कर प्राधिकरण स्तर पर योजना प्रारम्भ करने का निर्णय प्राधिकरण बोर्ड द्वारा आज की बैठक् दिनांक 11.01.2013 में निर्णय लिया गया।*

17 प्राधिकरण के वित्तीय व-र्ा 2009-2010 के लेखो का तुलन पत्र (ठ्ठ्ठ्ठदहङ्ग झ्ण्ङ्ख्ङ्ग) एवं आय- व्ययक का विवरण

प्राधिकरण का वित्तीय व-र्ा 2009-2010 का तुलन पत्र एवं आय व्ययक संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया । इस प्रकार इस वित्तीय व-र्ा में अब तक दो वित्तीय व-र्ाों के तुलन पत्र एवं आय-व्ययक संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदित किये जा चुके हैं । आगामी बोर्ड बैठक में वित्तीय व-र्ा 2010-2011 के तुलन पत्र एवं आय-व्ययक का संचालक मण्डल से अनुमोदन प्राप्त करने का लक्ष्य है । संचालक मण्डल द्वारा उक्त प्रगति की सराहना की गयी ।

18 प्राधिकरण की औद्योगिक, वाणिज्यिक, संस्थागत एवं ग्रुप हाउसिंग परिसम्पत्तियों के **efault** *(अतिदेय) धनराशि के सम्बन्ध में ।*

संचालक मण्डल द्वारा प्राधिकरण की विभिन्न परिसम्पत्तियों में रू0 3000.00 करोड़ की ङ्ढङ्खद्वथ्ङ (अतिदेय) धनराशि को गम्भीरता से लिया गया तथा निर्देशित किया गया कि समस्त डिफाल्टर आवंटियों को 15 दिन के अन्दर अतिदेय धनराशि जमा करने हेतु अन्तिम नोटिस प्रे-ित कर दिये जायें और 15 दिन के उपरान्त अतिदेय धनराशि जमा न करने वाले आवंटियों को आवंटित परिसम्पत्ति के निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाये ।

19 नौएडा एवं ग्रेटर नौएडा एक्सप्रेसवे पर हाइवे ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम की स्थापना एवं परिचालन के सम्बन्ध में ।

नौएडा एवं ग्रेटर नौएडा एक्सप्रेसवे पर हाईवे ट्रैफिक मैनेजमेन्ट सिस्टम की स्थापना एवं परिचालन सम्बन्धी प्रस्ताव को संचालक मण्डल अनुमोदित किया गया । उक्त व्यवस्था में पूरे एक्सप्रेस हाइवे की निगरानी हाईमास्ट कैमरों के माध्यम से की जायेगी जिसके फलस्वरूप एक्सप्रेसवे पर होने वाली दुर्घटनाओं हेतु आपातकालीन सुविधायें

तुरन्त प्रदान करने एवं जाम की समस्या निपटने तथा सुगम परिवहन व्यवस्था प्रदान करने में मदद मिलेगी । इस व्यवस्था की स्थापना शीध्र निविदा आमंत्रित करके प्रारम्भ की जायेगी ।